भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 131372

16 AUG 2017

Collaboration Agreement

यह सहयोग समझौता (इसके बाद "यह समझौता") 15/03/2024 को किया गया है और 15/03/2024 से प्रभावी है, इनके द्वारा और इनके बीच:

प्रथम पक्ष	द्वितीयपक्ष
Mr. Pramod Kumar S/O Mahabali, 13 Beli, Sathwara, Gosaiganj, Lucknow UP -227125 **Authorized signatory** – Mr. Pramod Kumar S/O Mahabali, 13 Beli, Sathwara, Gosaiganj, Lucknow UP -227125	**M/s Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.** R/O 910, 9th Floor Marcantile House, KG Marg, Connaught Place, Central Delhi, New Delhi -110001 **Authorized signatory** – Mr. Sandeep Kumar Singh S/o Mr. Rajendra Prasad, 447/57,Millat Nagar,KDA Colony, Gallamandi, Naubasta, Kanpur - 208021

प्रमोद कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या 10937 दिनांक 15/3/24

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

क्रेता का नाम व पूरा पता

अमरशील इन्फ्राटेक प्रा० लि०

स्टाम्प की धनराशि

असद अली रिज़वी स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं० 171 ... -03-2018

कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: महाबली, 13, बेली, सठवारा, लखनऊ, गोसाईगंज, उत्तर पदेश, 227125

Address:
S/O: Mahabali, 13, Beli, Sathwara, Lucknow, Gosainganj, Uttar Pradesh, 227125

8772 1954 7188

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारत सरकार

Government of India

प्रमोद कुमार

Pramod Kumar

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1973

पुरुष / Male

8772 1954 7188

आधार - आम आदमी का अधिकार

प्रमोद कुमार

Scanned with OKEN Scanner

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

KJVPK8260A

नाम / Name
PRAMOD KUMAR

पिता का नाम / Father's Name
MAHABALI

जन्म की तारीख
Date of Birth
01/01/1973

प्रमोद कुमार

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

AADHAAR

Download Date 17/11/2024

पता:
राजेंद्र प्रसाद, 447/57, मिल्लत नगर केडीए कालोनी, गल्लामंडी, नौबस्ता, कासीगवां, कासीगांव, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208021

Address
C/O Rajendra Prasad, 447/57, Millat Nagar Kda Colony, Gallamandi, Naubasta, VTC: Kasigawan, PO: Kasigaon, District: Kanpur Nagar, State: Uttar Pradesh, PIN Code: 208021

3238 4164 7735
VID : 9141 9450 6708 1794

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार

Aadhaar no. issued: 19/05/2014

संदीप कुमार सिंह
Sandeep Kumar Singh
जन्म तिथि / DOB : 10/07/1987
पुरुष / MALE
Mobile: 9956045022

3238 4164 7735
VID : 9141 9450 6708 1794

आधार -आम आदमी का अधिकार

Scanned with OKEN Scanner

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

SANDEEP KUMAR SINGH

RAJENDRA PRASAD

10/07/1987

Permanent Account Number

EUSPS1266N

Signature

29032013

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
Government of India

अशोक कुमार
Ashok Kumar

जन्म तिथि / DOB : 09/03/1970
पुरुष / Male

4523 6639 9444

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: सम्बोधित: महाबली, 13, बेली कला, मोहनलालगंज रोड, बेली, लखनऊ, सथवारा, उत्तर प्रदेश, 227125

Address: S/O: Mahabali, 13 Beli Kala, Mohanlalganj road, Beli, Lucknow, Sathwara, Uttar Pradesh, 227125

4523 6639 9444

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

अशोक कुमार

भारत सरकार
Government of India

Download Date: 22/02/2020

नवीन कुमार शर्मा
Naveen Kumar Sharma
जन्म तिथि/DOB: 02/07/1987
पुरुष/ MALE

Issue Date: 26/09/2011

8652 0857 8140

VID : 9110 7146 9229 9238

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O ए.एल. शर्मा, ग्राम-अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226002

Address:
S/O A.L. Sharma, GRAM-ARJUNGANJ,
arjunganj, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226002

8652 0857 8140

VID : 9110 7146 9229 9238

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

1- Local Address: 2nd party – 701, 7th Floor , Shalimar Iridium, Gomti nagar, Lucknow- 226010.

2- द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य में दक्ष है एवं विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओ का कार्य कर रही है | उपरोक्त दक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को विकास कार्य, क्रय – विक्रय, प्रकाशन, प्रचार प्रसार, प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों से अनुमोदन की कार्यवाहीं इत्यादि का अधिकार अनुसूची ए में दिए गये भूमि पर दिया जा रहा है |

3- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमिक्षेत्रफल के प्रतिफल शेयर के रूप में आवासीय विकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटित किया जायेंगा |

4- प्रथम पक्ष इस समझौते के तहत विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए अनुसूची 'ए' संपत्ति के अनुसार भूमि का भौतिक कब्ज़ा दूसरे पक्ष को सौंप देगा।यह समझौता परियोजना के पूर्ण होने तक खण्डित नहीं किया जा सकेगा |

5- प्रथम पक्ष प्रतिफल के रूप में विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा और बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार करेगा।

6- दूसरा पक्ष इस समझौते की शर्तों के अनुसार सीमाओं को बदलने, विकास करने और परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्षम होगा। परन्तु प्रथम पक्ष को जो प्लाट न० A-6 (RERA रजिस्ट्रेशनके बाद) दिया जा रहा है उसमे किसी भी प्रकार का संशोधन नही करेगा |

7- अनुसूची ए में दिए गए अनुबन्धित भूमि में विक्रय विलेख पूर्ण हो जाने पर भूमि के नये को ही विकसित भूमि का आवंटन किया जायेगा|

8- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि वे किसी भी अदालत में उपरोक्त प्रतिफल और जुर्माने (जैसा कि इस समझौते के तहत लागू है) के अतिरिक्त किसी प्रकार के भुगतान के लिए दावा नहीं करेंगे और कोई भी याचिका दायर करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसी याचिका व्यर्त और अवैध होगी और वे दूसरे पक्ष के आदेशों का पालन करेंगे।

9- प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भूमि के योगदान के बदले में, द्वितीय पक्ष इस परियोजना के तहत न्यायसंगत तरीके से वर्ग मीटर मापने वाले विकसित भूखंड प्रदान करेगा, अर्थात हिस्सेदारी का वितरण/आवंटन संख्या के अनुरूप क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आनुपातिक हिस्सेदारी का कब्ज़ा संबंधित चरण की सीसी (पूर्णता प्रमाण पत्र)/ओसी (अधिकृत प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

10- प्रथम पक्ष एतद्द्वारा घोषणा करता है और दूसरे पक्ष को आश्वस्त करता है कि आज की तारीख में अनुसूची 'ए' संपत्ति पर कोई बाधा, पूर्व समझौते, संयुक्त परिवार के हित, पट्टे/लाइसेंस, ऋण, शुल्क या कुर्की नहीं है और उनके पास है। यदि कोई तीसरे पक्ष का दावा है, तो पहला पक्ष अकेले ही अपनी लागत पर इसे निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि वे उचित समय के भीतर इसे निपटाने में विफल रहते हैं, तो दूसरा पक्ष, बिना बाध्य हुए, ऐसे दावों को निपटाने का हकदार होगा। ऐसी शर्तों पर जिन्हें दूसरा पक्ष उचित और समीचीन समझे और पहले पक्ष की कीमत पर, जो पहले पक्ष पर बाध्यकारी होगा। पहली पार्टी अकेले ही अनुसूची 'ए' संपत्ति के संबंध में सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने और शीर्षक की जांच या सीमाओं के सीमांकन आदि के लिए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी। भूमि के

प्रमोद कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

स्वामित्व के सम्बन्ध में ,प्रथम पक्ष आगे यह वचन देता है कि शीर्षक या किसी तीसरे पक्ष के दावे या संस्था के दावे, बैंक के दावे या किसी अन्य दावे या किसी पूर्व समझौते में दोष, यदि कोई हो, के लिए वह अकेला जिम्मेदार होगा।यदि कोई हो, तो तीसरे पक्ष द्वारा और उनके दावों या किसी मुकदमे की भरपाई भी की जाएगीयह उसकी अपनी लागत के बराबर होगा और दूसरा पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा |

11- प्रथम पक्ष इस के द्वारा इस भूमि/परिसर की, दूसरे पक्ष को परियोजना के विकास के उद्देश्य से भौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है

12- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम पक्ष के पास अनुसूची 'ए' संपत्ति के शीर्षक को बेचने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

13- दूसरा पक्ष अनुसूची 'ए' संपत्ति के साथ परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से किसी भी अन्य भूमि को शामिल करने का हकदार होगा, पहले पक्ष को इस संदर्भ की ऐसी शर्तों पर आपत्ति नहीं होगी |

14- दूसरा पक्ष किसी भी अन्य भूमि के साथ अनुसूची 'ए' संपत्ति विकसित करेगा (इस समझौते के हिस्से के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से) और इसे नियोजित विकास के लिए उपयुक्त तरीके से पुनर्गठित और नया आकार दिया जा सकता है।

15- प्रथम पक्ष इस बात से सहमत है कि दूसरे पक्ष के पास परियोजना के सह-डेवलपर्स के रूप में अन्य कंपनी/कंपनियों को शामिल करने का विशेष अधिकार है और उनके साथ अलग समझौता करने का अधिकार है।

16- दूसरा पक्ष विकास कार्य हेतु (अनुसूची ए एवं अन्य भूमि) किसी भी अनुमति, अनुदान, सेवा कनेक्शन आदि के लिए सरकार, राज्य, केंद्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों/संगठनों से संपर्क करने के लिए अधिकृत है।

17- भूमि प्रत्येक मूल भूखंड से विनियोजित की जाएगी और लागू भवन उपनियमों के मानदंडों के अनुसार विकास के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाएगी, बशर्ते कि आंतरिक और बाह्य रूप से विकसित पुनर्गठित भूखंडों के रूप में प्रथम पक्ष का न्यूनतम हिस्साउसकी मूल भूमि/प्लॉट क्षेत्र काविकसित भूखंड होगा।योजना के तहत विकसित भूखंड, यथासंभव सीमा तक, भू- को उसी योजना में आवंटित किए जा सकते हैं, जिसके लिए भू- ने अपनी भूमि एकत्रित की है।

18- लेआउट योजना अनुसूची बी के अनुसार सजरा योजना पर अधिरोपित की जाएगी।

19- प्रथम पक्ष उन्हें आवंटित/आबंटित किये जाने वाले पुनर्गठित भूखंडों के बदले किसी भी विकास शुल्क या अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20- द्वितीय पक्ष परियोजना का RERA पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि और 6 महीने की अतिरिक्त छूट अवधि के भीतर परियोजना के विकास कार्यों को पूरा करेगा। परियोजना अवधि में विस्तार, मानदंडों और/या पार्टियों के बीच आपसी समझौते के अनुसार होगा, अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अवधि को अप्रत्याशित घटना की स्थिति जारी रहने तक बढ़ाया जाएगा।"अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सीधे निम्नलिखित घटनाओं या स्थितियों में से कोई है, किसी पार्टी द्वारा उसके किसी भी प्रदर्शन को अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना, सीमित करना/असंभव बनानाइस समझौते के तहत दायित्व, जिनमें दैवीय कृत्य, युद्ध शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (घोषित और अघोषित), आतंकवादी

प्रमोद कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatoy

Scanned with OKEN Scanner

हमले, दंगे, नागरिक अशांति, हड़ताल,आग, भूकंप, विस्फोट,बाढ़, तोड़फोड़ या पार्टी के नियंत्रण से परे कोई अन्य घटना (प्रत्येक "अप्रत्याशित घटना") अनुबंध के तहत जिसे उसके दायित्वों के प्रदर्शन से रोका गया है।

21- विकसित भूमि का लागत मूल्यांकन दूसरे पक्ष द्वारा मौजूदा लागत दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किया जाएगा। विकसित भूखंडों के लिए आवंटन दर भी, जैसा लागू हो, द्वितीय पक्ष द्वारा तय की जाएगी। पुनर्गठित भूखंडों का 'अंतर मूल्य निर्धारण' द्वितीय पक्ष द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जाएगा।

22- दूसरा पक्ष अपने हिस्से की भूमि का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, समूह आवास और अन्य के लिए कर सकता है ताकि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी को सक्षम किया जा सके।

23- पुनर्गठित/विकसित भूखण्डों का आवंटन भूमि स्वामी के पक्ष में निःशुल्क किया जायेगा।

24- परियोजना के सभी प्रकार से पूरा होने के बाद, दूसरा पक्ष पुनर्गठित/विकसित भूखंडों की सूचना प्रथम पक्ष को देगा और कब्जा देगा, जो आवंटन पत्र/संबहन विलेख/या दूसरे पक्ष द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके के तहत प्रथम पक्ष को आवंटित किए गए हैं।

25- पुनर्गठित/विकसित भूखंड को सौंपने के बाद, प्रथम पक्ष हस्तांतरण विलेख के लिए दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार, भूखंडों के अपने हिस्से को हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

26- दूसरा पक्ष अपने हिस्से को तीसरे पक्ष को हस्तांतरण विलेख के लिए विज्ञापन देने और समझौतों में प्रवेश करने, विचार प्राप्त करने, रसीदें जारी करने, आय का विनियोग करने, ऐसे तीसरे पक्ष के खरीदारों को एटीएस/बिक्री विलेख/पंजीकरण/अन्य हस्तांतरण निष्पादित करने और प्रस्तुत करने का हकदार होगा और प्रथम पक्ष को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

27- राजस्व उक्त परियोजना के लिए खोले गए एस्क्रो खाते/रेरा खाते के तहत जमा किया जाएगा और रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निकाला जाएगा।

28- यदि दूसरा पक्ष किसी वित्तीय संस्थान से परियोजना के लिए ऋण लेता है तो पहला पक्ष ऋण लेने के लिए भूमि के अपने हिस्से के स्वामित्व के कागजात भी प्रदान करेगा और दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व के खिलाफ पहले पक्ष को क्षतिपूर्ति देगा जो ऋण संबंध में उत्पन्न हो सकती है।

29- शेयर का आवंटन परियोजना के विकास के लिए निर्धारित विभिन्नचरणों के अनुसार किया जाएगा।

30- दूसरा पक्षनिर्माण एवं विकास और /समग्र प्रबंधनके लिए बाहरी ठेकेदार/उप-ठेकेदार/एजेंसियों/सह-विकासकर्ता नियुक्त कर सकता है।

31- लाइसेंसिंग एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन समेत सभी मंजूरी और (इन्हीं तक सीमित नहीं होगी) दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी|

32- दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारों में बाधा डाले बिना,परियोजना का विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए, जेडीए, कंसोर्टियम समझौता, सहयोग समझौता, एमओयू इत्यादि जैसे अन्य समझौतों में प्रवेश कर सकता है, जो उसे निर्माण और निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को

प्रमोद कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatoy

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400821070365

भागीदारी विलेख

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 396	वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री प्रमोद कुमार ,
पुत्र श्री महाबली
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 13 बेली, सथवारा, गोसाईंगंज, लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 17/09/2024 एवं 06:18:50 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कामना राय .
उप निबंधक :सदर तृतीय
लखनऊ
17/09/2024

बबिता सिंह . .
निबंधक लिपिक
17/09/2024

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner

उक्त उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार है। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

33- प्रथम पक्ष अपनी सहमति देता है, दूसरे पक्ष या परियोजना के निर्माण और विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए दूसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को परियोजना का लोगो, नाम और बेचने/बाजार/ ब्रांडिंग करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। प्रोजेक्ट और संबंधित कंपनियों को ब्रांड करें।

34- दूसरा पक्ष सक्षम प्राधिकारियों से एनओसी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

35- दूसरे पक्ष को परियोजना में परिसर की बिक्री के संबंध में नियामक निकायों, सोसायटी, रजिस्ट्रार और किसी अन्य तीसरे पक्ष के समक्ष प्रतिनिधित्व करने और परिसर की बिक्री के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

36- दूसरे पक्ष को एलडीए/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार और एलडीए/संबंधित अधिकारियों द्वारा।स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार विकास भूमि पर परियोजना में भवन विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार होगा|

37- दूसरे पक्ष को सभी प्रकार से परियोजना का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने और उसके भौतिक कब्जे और उक्त समझौते के अनुसार अन्य दायित्वों का अधिकार होगा।

38- दूसरेपक्षकोसंबंधितअधिकारियों, बिजली बोर्ड या किसी अन्य बिजली आपूर्ति कंपनी और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके उपनियमों, नियमों और विनियमों और विशिष्टताओं के अनुसार ऐसी योजनाएं, लेआउट, समामेलन, उप प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। - विकास भूमि का विभाजन, आरक्षण का स्थानांतरण और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवेदनों, योजनाओं, विशिष्टताओं, वादों, दस्तावेजों, लेखों, शपथपत्रों, उपक्रमों, क्षतिपूर्ति आदि पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना, जैसा कि अनुमोदन और अनुमोदन के लिए आवश्यक हो सकता है। उक्त लेआउट, समामेलन, उप-विभाजन, योजनाएँ और विशिष्टताएँ और उनमें संशोधन, संशोधित योजनाएँ और/या आईओडी जारी करनाओर परियोजना के संबंध में प्रारंभ प्रमाण पत्र लेने का अधिकार होगा |

39- संशोधन. किसी भी नियम, शर्तों में कोई वृद्धि, परिवर्तन या संशोधन नहींयहां उल्लिखित प्रावधान इनमें से किसी पर भी वैध, सक्रिय, प्रभावी और बाध्यकारी नहीं होंगेजब तक इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।

40- इस अनुबन्धपत्रके अनुच्छेद अथवा अनुबन्ध पत्र के बाहर यदि किसी प्रकार का मत भेद | विवाद उत्पन्न होता है तो उसको दोनों पक्ष आपसी बिचार- बिमर्श से समाधान निकालेंगे | यदि आपसी समझौते से विवाद नहीं सुलझ पाता है तो तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से विवाद | मतभेद को सुलझाने का प्रयास करेंगे | तृतीय पक्ष की मध्यस्थता एक्ट 1 9 9 6 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के तहत रहेगी | मध्यस्थता की सुनवाईनई दिल्ली या कोर्ट नई दिल्ली जूरिडिक्शन का होना चाहिए|

41- शासी कानून. यह समझौता भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नई दिल्ली के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

प्रमोद कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400821070365

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 396 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

भागीदार: 1

श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री महाबली

निवासी: 13 बेली, सथवारा, गोसाईंगंज, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

भागीदार: 2

श्री मे०अग्रशील इन्फ्र०प्रा०लि० के द्वारा सन्दीप कुमार सिंह , पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: 447/57 मिल्लत नगर के०डी०ए० कालोनी, गल्लामण्डी नौबस्ता कानपुर

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिसकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अशोक कुमार , पुत्र श्री महाबली

निवासी: ग्राम बेली पर० व तह० मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: व्यांपार

पहचानकर्ता : 2

श्री नवीन कुमार शर्मा , पुत्र श्री ए०एल०शर्मा

निवासी: अर्जुनगंज लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

कामना राय .
उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ
17/09/2024

बबिता सिंह . .
निबंधक लिपिक लखनऊ
17/09/2024

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner

42- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके कुल भूमि क्षेत्रफल0.375 हे० में से 0.295 हे० भूमि का पैसा दिया जा रहा है और शेष भूमि 0.0796 हे० भूमि जिसका पैसा (धनराशि) प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से नहीं लिया जा रहा है 0.0796 हे० भूमि कम्पनी को दे कर उसके एवज में प्लाट न० A – 6 क्षेत्रफल 3229 वर्गफिट यानि 300 वर्गमीटर कंपनी द्वारा (RERA रजिस्ट्रेशन के बाद) डेवलप करके व बिना किसी धनराशि के कंपनी प्रथम पक्ष को बैनामा निष्पादित करेगी | यदि इस शर्त को कंपनी द्वारा या कंपनी द्वारा किसी अन्य नामित व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस समझौते को शुन्य माना जायेगा | इसमें द्वितीय पक्ष व उसके द्वारा नामित व्यक्ति सभी इस समझौता पत्र से सहमत है |

43- प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा जो प्लाट न० A – 6 क्षेत्रफल 3229 वर्गफिट दिया जा रहा है उसकी रजिस्ट्री का सम्पूर्ण खर्च द्वितीय पक्ष कंपनी या कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा देय होगा इसमें द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार की हीला हवाली नहीं करेगा | यदि द्वितीय पक्ष कंपनी (अग्रशील इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) या इसके द्वारा नामित व्यक्ति और प्रथम पक्ष दोनों सहमत हो कर इस समझौते को बिना किसी जोर दबाव के समस्त गवाहान स्वीकार कर रहे है | इसमें जो भी बिंदु 1 लगायत 43 तक नियम व शर्ते है यदि प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष नहीं मानता है या इस समझौते का उल्लंघन करता है तो न्यायालय द्वारा इसको शुन्य माना जायेगा ताकि सनद रहे और समय पर कम आवे |

44- सहयोग अनुबन्ध पत्रके पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा एवं 50 लाख की राशि द्वितीय पक्ष के द्वारा दीजा रही है / दी जाएगी, जिसका विवरण इस प्रकार है :

राशि- 15 लाखका भुगतान NFET द्वारा एकाउंट न० 150001712000से दिनांक : 31/08/2024 की गयी |

राशि- 25 लाख , चेक न० –749749 (Induslnd Bank), दिनांक: 17/09/2024

राशि- 10 लाख, चेक न०– 749750 (Induslnd Bank), दिनांक: 28/10/2024

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ भी धनराशि बकाया नहीं है |

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatoy

प्रमोद कुमार

अनुसूची 'ए' : भूमि का क्षेत्रफल : 0.375हेक्टेयर

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि क्षेत्रफल 0.375 हेक्टेयर के प्रतिफल शेयर के रूप में भूखण्ड स० A-6, क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर आवासीय विकसित भूमि परियोजना के प्रथम चरण में आवंटन UP रेरा के नियमानुसार एवं रेरा रजिस्ट्रेशन के पश्चात् किया जायेगा |

चौहददी:(खसरा संख्या– 255)

पूर्व	-	भूमि खसरा संख्या- 239
पश्चिम	-	256, 257, 258
उत्तर	-	55 का शेष भाग
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या- 237

प्रमोद कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Authorised Signatoy

6

Scanned with OKEN Scanner

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय लखनऊ क्रम संख्या 2024229022973

आवेदन संख्या : 202400821070365

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2024-09-17 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम प्रमोद कुमार

लेख का प्रकार भागीदारी विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 560

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2024-09-17 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-17 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय लखनऊ क्रम 2024229022973

आवेदन संख्या : 202400821070365

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2024-09-17 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम प्रमोद कुमार

लेख का प्रकार भागीदारी विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 560

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2024-09-17 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-17 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय लखनऊ क्रम संख्या 2024229022973

आवेदन संख्या : 202400821070365

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थी का नाम

प्रमोद कुमार

निष्पादक का नाम प्रमोद कुमार

लेख का प्रकार भागीदारी विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2024-09-17 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-09-17 00:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

क्रेता-प्रमोद कुमार

(आधार संख्या- 877219547188)

(पैन संख्या- KJVPK8260A)

पता -S/O महाबली, 13 बेली, सठ्बारा , गोसाईगंज, लखनऊ -227125

इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने यहां और इसके समकक्षों के लिए निर्धारित किया हैऔर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर किएलखनऊ में नीचे उल्लिखित दिन, महीना और वर्ष

लखनऊ

दिनांकित : ~~15/03/2024~~ 17/09/2024

गवाह :-

1. अशोक कुमार पुत्र महाबली,
   निवासी – ग्राम – बेली,
   परगना व तहसील मोहनलालगंज,
   लखनऊ – 227125
   लखनऊ (मो न॰ –8012496860)

प्रथम पक्ष/मालिक : प्रमोद कुमार

2. नवीन कुमार शर्मा पुत्र ए. ल . शम
   निवासी- ग्राम – अर्जुनगंज
   लखनऊ-226010

(मो न॰ – 99365 01213)

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

दूसरा पक्ष/निर्माता : अग्रशील इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400821070365

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 722 के पृष्ठ 13 से 24 तक क्रमांक 396 पर दिनाँक 17/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कामना राय .
उप निबंधक : सदर तृतीय
लखनऊ
17/09/2024

प्रिंट करें